157 23 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए ''महारत्न'' योजना का शुभारंभ

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने बड़े सीपीएसई को अपने प्रचालन का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनी के रूप में उभरकर सामने आने के लिए उनके सशक्तिकरण के प्रयोजन से ''महारत्न'' योजना लागू करने का निश्चय किया है

2. योजना की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें ''महारत्न'' का दर्जा प्रदान करने/वापस लेने के लिए पात्रता और प्रक्रिया, महारत्न सीपीएसई को शक्तियों का प्रत्यायोजन के साथ–साथ उनके निष्पादन की समीक्षा की प्रक्रिया बताई गई है, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से सरकार के उपर्युक्त निर्णय को संज्ञान में लेने का अनुरोध है।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए महारत्न योजना संबंधी दिशानिर्देश

1. उद्‌देश्य

महारत्न योजना का उद्‌देश्य चिह्नित किए गए बड़े आकार वाले सीपीएसई के निदेशक मंडल को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है, जिससे कि घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, दोनों में उन्हें अपने प्रचालनों का विस्तार करने में सहूलियत हो।

2. महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई को महारत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्र माना जाए :–

(क) नवरत्न दर्जा प्राप्त ।
(ख) सेबी के विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम विहित शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ।
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर ।
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक निबल मूल्य ।
(ङ.) पिछले तीन वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कर पश्चात निबल लाभ ।
(च) वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपस्थिति अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन।

3. महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

3.1 महारत्न का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की है जैसे नवरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए अपनायी जाती हैं। तदनुसार महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव (प्रस्तावों) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने वित्तीय सलाहकारों और प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के पश्चात लोग उद्यम विभाग (डीपीई) को भेजे जाने चाहिए। डीपीई अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के विचारार्थ प्रस्ताव (प्रस्तावों) को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। अंतर्मंत्रालयी समिति का स्वरूप निम्नानुसार हैः

(i)	सचिव, लोक उद्यम विभाग	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
(iii)	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(iv)	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव	सदस्य

3.2 आईएमसी द्वारा विचार किए जाने के पश्चात प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। शीर्ष समिति का स्वरूप निम्नानुसार हैः

(i)	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, लोक उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
(iii)	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
(iv)	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(v)	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव	सदस्य

3.3 महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए शीर्ष समिति की सिफारिशों को निर्णय हेतु मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के समझ प्रस्तुत किया जाएगा।

4. महारत्न, सीपीएसई को शक्तियों का प्रत्यायोजन

4.1 महारत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं :

(i) धन संबंधी किसी भी सीमा के बिना नए आइटमों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए पूंजीगत व्यय करना।

(ii) प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यम बनाना अथवा रणनीतिक गठबंधन करना।

(iii) क्रय अथवा अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(iv) लाभ केंद्रों की स्थापना, भारत/विदेशों में कार्यालय खोलना, नए कार्यकलाप केंद्रों का सृजन आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन को लागू करना।

(v) ई–9 स्तर तक के बोर्ड स्तर से नीचे वाले पदों का सृजन करना और बोर्ड स्तर से नीचे वाले सभी पदों को समाप्त करना। निदेशक मंडल को बोर्ड स्तर से नीचे वाले सभी पदों पर सभी नियुक्तियां करने, आंतरिक स्थानांतरण लागू करने और पदनाम पुनः परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(vi) कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना।

(vii) घरेलू पूंजी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण जुटाना, किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार आरबीआई/आर्थिक कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा और यह अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(viii) वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने और भारत अथवा विदेश में उनके विलयन और अधिग्रहण के लिए इक्विटी निवेश करना, जिसकी सीमा संबंधित सीपीएसई के निबल मूल्य के 15% तक होगी और एक परियोजना में 5000 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा संबंधित सीपीएसई के निबल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगी। जहां एक ओर यह निवेश प्रत्यक्ष रूप से मूल सीपीएसई द्वारा किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामलों जहां किसी अन्य संयुक्त उद्यम में यह अपनी किसी सहायक कंपनी के जरिए निवेश का प्रस्ताव करती है, साथ ही इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पूंजी भी उपलब्ध कराती है, में उपर्युक्त विलेख मूल कंपनी के संदर्भ में होंगे।

(ix) निदेशक मंडल को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विलयन और अधिग्रहण का अधिकार होगा कि (क) यह विस्तार योजना के अनुसार किया जाना चाहिए और सीपीएसई के प्रमुख कार्य क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए और (ख) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) को भी सूचित किया जाएगा। इसके अलावा विलयन और अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित सीपीएसई की सार्वजनिक क्षेत्र में साख में कोई परिवर्तन न हो।

(x) कार्यकारी निदेशकों के मामले में सीएमडी को आपातकालीन स्थिति में 5 दिन की अवधि तक के विदेशी व्यापारिक दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि से इतर) को अनुमोदित करने का अधिकार है, परंतु इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को भी दी जाए।

(xi) धारक कंपनियों को इस शर्त के अध्यधीन अपनी सहायक कंपनियों में परिसंपत्तियों के स्थानांतरण, नए सिरे से इक्विटी शामिल करने और शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए अधिकार प्रदान करने का निश्चय किया है कि यह प्रत्यायोजन ऐसी सहायक कंपनियों के संदर्भ में होगा, जिनका गठन नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा किया जाएगा और इसके अलावा यह प्रावधान लागू होगा कि :

(क) संबंधित सीपीएसई (सहायक कंपनी सहित) की सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान (साख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं की जाएगी; और

(ख) ऐसे नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को अपनी सहायक कंपनियों से बाहर आने से पहले उन्हें सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.2 महारत्न कंपनियों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का इस्तेमाल सरकार द्वारा समय–समय पर नवरत्न सीपीएसई के संदर्भ में यथा निर्धारित शर्तों और दिशानिर्देशों के अध्यधीन किया जाएगा। आज की स्थिति के अनुसार यथालागू ये शर्तें और दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:–

(क) न्यूनतम चार की सीमा के अध्यधीन सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित संख्या में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करते हुए इन सीपीएसई के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ख) सभी प्रस्ताव, चाहे वे पूंजीगत व्यय, निवेश अथवा ऐसे अन्य मामलों से संबंधित हों, जिनमें काफी मात्रा में वित्तीय और प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं निहित हों, अथवा सीपीएसई की संरचना और कार्यप्रणाली पर उनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, पेशेवरों और विशेषज्ञों द्वारा अथवा उनकी सहायता से तैयार किए जाने चाहिए और उपयुक्त मामलों में इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित पेशेवर संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयुक्त ढंग से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्राथमिक रूप से वित्तीय मूल्यांकन के समर्थन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकनकर्ता संस्थान की भी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ग) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्ताव लिखित में और पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके लिए संगत घटकों का विश्लेषण और संभावित परिणामों तथा लाभों की उचित गणना एवं निर्धारण किया जाना चाहिए। जोखिम घटकों, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(घ) सभी सरकारी निदेशक (निदेशकों), वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक (निदेशकों) को बड़े निर्णय, विशेष रूप से जब वे निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक, पूंजीगत पुनर्गठन और नवरत्न/महारत्न शक्तियों के इस्तेमाल से संबंधित हों, लेते समय उपस्थित रहने चाहिए।

(ड.) उपर्युक्त पैरा में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर निर्णय प्राथमिक रूप से सभी की सहमति लिए जाने चाहिए। यदि ऐसे मामलों पर सभी की सहमति से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निर्णय बहुमत से आधार पर लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम दो तिहाई निदेशक उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा सभी सरकारी निदेशक (निदेशकों), वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक (निदेशकों) को ऐसा निर्णय लेते समय अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। आपत्तियों, असहमतियों, उन्हें ओवररूल करने के कारणों और निर्णय लिए जाने संबंधी कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) कोई वित्तीय सहायता अथवा आकस्मिक देनदारी सरकार के हिस्से में नहीं डाली जानी चाहिए। ये सीपीएसई बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संसाधन उन्हें अपने आंतरिक संसाधनों अथवा अन्य संसाधनों से जुटाना चाहिए, जिसमें पूंजी बाजार शामिल है। तथापि राष्ट्रीय हित की सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं और सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजटीय सहायता से सीपीएसई अपना नवरत्न और मिनिरत्न दर्जा बनाए रखने में अनअर्हक नहीं होंगे और ऐसी परियोजनाओं के लिए निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे, संबंधित सीपीएसई द्वारा नहीं। इसके अलावा जब कभी भी बाह्य दाता एजेंसियों के मानक विलेखों के अंतर्गत सरकारी गारंटी आवश्यक होगी, तो यह प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी और ऐसी सरकारी गारंटी से महारत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा।

(छ) ये सीपीएसई गैर सरकारी निदेशकों की सदस्यता सहित निदेशक मंडल की एक लेखा परीक्षा समिति की स्थापना कर आंतरिक निगरानी के लिए पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की स्थापना करेंगे।

(ज) प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यमों में शामिल होने और रणनीतिक गठबंधन करने के लिए प्राधिकार का इस्तेमाल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(झ) ये सीपीएसई निगमित शासन और सीपीएसई के लिए यथा लागू निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करेंगे।

5. महारत्न सीपीएसई के निष्पादन की समीक्षा

महारत्न सीपीएसई के निष्पादन की समीक्षा वार्षिक रूप से अंतर्मंत्रालयी समिति द्वारा की जाएगी, और तत्पश्चात मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाएगी, जो महारत्न का दर्जा बनाए रखने /उसे वापस लेने की सिफारिश करेगी। यह समीक्षा महारत्न सीपीएसई की पात्रता बनाम उपर्युक्त पैरा दो में दिए गए महारत्न दर्जा प्रदान करने संबंधी मानदंडों पर केंद्रित होगी और पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान उनके निष्पादन को भी ध्यान में रखा जाएगा।

6. महारत्न दर्जा वापस लिया जाना

यदि शीर्ष समिति किसी सीपीएसई का महारत्न दर्जा वापस लेने की सिफारिश करती है, तो यह सिफारिश निर्णय हेतु मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

7. लोक उद्यम विभाग इस योजना का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से महारत्न योजना में उपयुक्त संशोधन कर सकता है और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 22 (1)/2009–जीएम, दिनांक 4 फरवरी 2010)

****